<u>चुनाव अत्यावश्यक</u>

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.12(6)साप्र / 2 / 2023 जयपुर, दिनांकः 30.12.2024

– : आदेश :–

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार राज्य के 09 जिलों (बांसवाडा, चित्तौडगढ, दौसा, हनुमानगढ, जयपुर, झालावाड, जोधपुर ग्रामीण, सवाई माधोपुर एवं सीकर) में 09 नगरीय निकायों के रिक्त पदों पर उप चुनाव माह दिसम्बर, 2024–जनवरी, 2025 में करवाये जाने से संबंधित प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त नगरीय निकायों में घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोकसूचना दिनांक 26.12.2024 को जारी हो गई है एवं मतदान दिनांक 09.01.2025 (गुरूवार) को होगा। अतः आदर्श आचार संहिता के भाग–7 की पालना के साथ–साथ निम्नांकित बिन्दुओ की पालना भी सुनिश्चित करवाने का श्रम करें:–

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेगें। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो वे किसी सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते है तो उस पर लालबत्ती या सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐं।
4. माननीय मंत्रीगण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. सरकारी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेगें।

उक्त आदर्श आचार संहिता बोर्ड / निगम के अध्यक्ष, जिन्हें मंत्री / राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त है पर भी समान रूप से लागू होंगे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड़)
वरिष्ठ उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. प्रमुख विशेषाधिकारी (टीजेके), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
8. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
9. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 3828 दिनांक 19.12.2024 के क्रम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिवगण।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. संभागीय आयुक्त उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, भरतपुर।
15. जिला कलक्टर बांसवाडा, चित्तौडगढ, दौसा, हनुमानगढ, जयपुर, झालावाड, जोधपुर ग्रामीण, सवाई माधोपुर एवं सीकर।
16. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर बैंच, जयपुर।
17. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान।
19. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान / समस्त निगम / मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक।
20. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
21. रक्षित पत्रावली ।

Signature valid

वरिष्ठ उप शासन सचिव

Digitally signed by Man Mohan Gour
Designation : Senior Deputy Secretary To Government
Date: 2024.12.30 17:31:27 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12709844

4978
23/12/24

JS (GAD)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवंPh. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

23/12/24

क्रमांकःएफ.4(2)(2)नपा/रानिआ/2024/3828 दिनांकः– 19/12/2024.

शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– नगरीय निकायों के उपचुनाव माह दिसम्बर, 2024–जनवरी, 2025 – आदर्श आचरण संहिता की पालना बाबत्।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के राज्य के नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव कराने हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोकसूचना दिनांक 26.12.2024 को जारी होगी एवं मतदान दिनांक 09.01.2025 को होगा। रिक्त पदों की सूची एवं उपचुनाव हेतु कार्यक्रम पत्र के साथ संलग्न है।

घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में लागू हो गये हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। अतः आदर्श आचरण संहिता के भाग–7 की पालना सुनिश्चित करवायी जावे। आदर्श आचरण संहिता की पालना हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर भी राजकीय आदेश प्रसारित करना वांछनीय है :–

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेंगे। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते हैं तो उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो चुनाव से संबधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐ।
4. माननीय मंत्री गण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलो या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जावेगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. निर्वाचन से जुडे सरकारी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेंगे।

AS-2
24/12/24

उपरोक्तानुसार निर्देश प्रसारित कर आयोग को भी अवगत करावें।

सलंग्नः– 1. उपचुनाव कार्यक्रम एवं रिक्त पदों की सूची।
2. आदर्श आचरण संहिता की पुस्तिका

Suraj
26/12/24

आज्ञा से,

(नलिनी कठोतिया)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकःएफ.4(2)(2)नपा/रानिआ/2024/3829 दिनांकः– 19/12/24.

1. प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर ग्रामीण, सवाई माधोपुर एवं सीकर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अम्बालाल मीणा)
उपसचिव

D:\NAGAPALIKA\00 NP\0 NP Main folder\By Election 2018-2020\F4(2)(2) NP SEC 2024_bye-election, 2024.doc
31

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
प्राप्ति संख्या 4699163
दिनांक 26/12/24

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

नगरीय निकायों में दिनांक 31.08.2024 तक के रिक्त पदों पर उपचुनाव माह दिसम्बर, 2024–जनवरी, 2025

उप चुनाव हेतु रिक्त पदों की सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	क्र. स.	नगरनिगम / नगरपरिषद / नगर पालिका का नाम	रिक्त वार्ड सं.
1.	बांसवाड़ा	1.	न.पा. कुशलगढ़	अध्यक्ष / 17
2.	चित्तौड़गढ़	2.	न.पा. कपासन	17
3.	दौसा	3.	न.प. दौसा	17
4.	हनुमानगढ़	4.	न.पा. पीलीबंगा	अध्यक्ष
5.	जयपुर	5.	न.पा. फुलेरा	18
6.	झालावाड़	6.	न.प. झालावाड़	13
7.	जोधपुर ग्रामीण	7.	न.पा. पीपाड़ शहर	30
8.	सवाई माधोपुर	8.	न.प. सवाई माधोपुर	55
9.	सीकर	9.	न.पा. रींगस	अध्यक्ष / 12

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

नगरीय निकायों में दिनांक 31.08.2024 तक के रिक्त पदों पर उपचुनाव माह दिसम्बर, 2024–जनवरी, 2025

उप चुनाव कार्यक्रम

➢ सदस्य पद के लिए

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	26.12.2024 (गुरुवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	30.12.2024 (सोमवार) प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक (दिनांक 28.12.2024 एवं 29.12.2024 को छोडकर)
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	31.12.2024 (मंगलवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	02.01.2025 (गुरुवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	03.01.2025 (शुक्रवार)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	09.01.2025 (गुरुवार) प्रातः 08.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	10.01.2025 (शुक्रवार) प्रातः 9.00 बजे से.

➢ अध्यक्षीय पदों के लिए

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	13.01.2025 (सोमवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	14.01.2025 (मंगलवार) प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	15.01.2025 (बुधवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	16.01.2025 (गुरुवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	16.01.2025 (गुरुवार) (अभ्यर्थिता वापिस लेने के समय समाप्ति के तुरन्त पश्चात)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	20.01.2025 (सोमवार) प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	20.01.2025 (सोमवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्